THE STANFORD JOURNAL
AN INTERNATIONAL JOURNAL

THE STANFORD JOURNAL ISSN: 3048-8923
(AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH)
Volume–2, Issues– 1 January-March: 2025

सरकारी योजनाओं के संदर्भ में महिलाओं का विकास

डॉ. कुसुम,
सहायक प्रोफेसर
स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ
Mail ID- kusumrajraj66@gmail.com

सारांश

सरकारी योजनाओं के संदर्भ में महिलाओं के विकास से संबंधित शोध पत्र में भारतीय महिलाओं को सम्मलित किया गया है, आंकड़े एकत्र करने हेतु शोध पत्रों, पत्रिकाओं, एवं समाचार पत्रों से संबंधित आंकड़ों को आधार बनाया गया है।

भारत में महिलाओं को अक्सर जीवन के कई क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिसमें घर, समाज, शिक्षा, खेल, नेतृत्व और कार्यस्थल शामिल हैं। इससे उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुँचना लगभग न मुमकिन सा है, और असमान व्यवहार और कम वेतन का कारण भी है। केवल और केवल उपयोगी योजनाएं और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा हम महिलाओं की स्थिति को पूर्ण रूप से सुधार सकते हैं। प्राचीन कहावत है की 'एक पुरुष को शिक्षित करके, हम केवल एक व्यक्ति को ही शिक्षित करते हैं, परन्तु जब हम महिला को शिक्षित करते हैं, तब हम उस पूरे समाज को ही शिक्षित कर रहे होते हैं। सरकार के द्वारा महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की पहल की गई है, जिसके लिए कई नए कार्यक्रम, योजनाएं और नवाचार अपनाए गए हैं। वर्तमान में महिलाओं की स्थिति एवं दशा में सुधार एवं उनको प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने अनेकों योजनाएं चला रखी हैं, जिनके माध्ययम से महिलाएं अधिक सशक्त, शिक्षित एवं सक्षम बनकर राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दे रही हैं।

शब्द कुंजी– सरकारी, योजनाएं, संदर्भ, महिलाएं, विकास

भूमिका- शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि करके उसके आनुवंशिक गुणों को बढ़ाया जा सकता है, तथा शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति की बुद्धि, बल और विवेक को उत्कृष्ट बनाया जाता है, जबकि अशिक्षित व्यक्ति पशु के समान माना जाता है। महिलाओं को केवल गृह कार्यों तथा वैवाहिक जीवन जीने तक

ही सीमित समझा जाता था, परन्तु समय में परिवर्तन होने के साथ ही महिलाओं की शिक्षा को भी अलग से स्थान प्राप्त होने लगा, जिससे पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को अपने अस्तित्व को एक अलग पहचान दिलाने में सफलता मिल पाई है। कहते हैं की जब 'एक पुरुष को शिक्षित करते हम केवल, एक व्यक्ति को ही शिक्षित करते हैं, लेकिन जब हम महिला को शिक्षित करते हैं तो हम पूरे समाज को शिक्षित कर सकते हैं।

महिलाओं को इस स्तर तक पहुंचाने में सरकार एवं समाज दोनों ने ही अपने-अपने स्तर पर कार्य किये हैं। जैसे की अनुच्छेद 15(3) में महिलाओं और बच्चों के कल्याण का उल्लेख है, इसे इस प्रकार कहा जा सकता है, कि इस अनुच्छेद में वर्णित है की कोई भी राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने भारत में महिलाओं और बच्चों के लिए डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने के लिए 19 नवंबर, 2019 को फेसबुक के साथ सहयोग किया है। वैश्विक साक्षरता कार्यक्रम के तहत वर्गीकृत अभियान का नाम "वी थिंक डिजिटल" रखा गया है। सभी क्षेत्रों में आर्थिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने के लिए महिलाओं को सशक्त, लचीली अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह स्थिरता को बेहतर बनाता है, और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। हालाँकि, सशक्तिकरण बहुआयामी, और बहुस्तरीय अवधारणा है, जिसके लिए महिलाओं को संसाधनों पर अधिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है, जो ज्ञान, सूचना, विचार जैसे भौतिक, मानवीय और बौद्धिक हो सकते हैं। इसमें वित्तीय संसाधन जैसे पैसा भी शामिल है, महिलाओं को पैसे तक पहुँच प्रदान करना और उन्हें घर, समुदाय, समाज और राष्ट्र स्तर पर निर्णय लेने पर नियंत्रण प्रदान करना, 'शक्ति' प्राप्त करने में मदद करना शामिल है। महिलाओं को बहुमुखी होने के लिए प्रोत्साहित करने से महिलाओं को उनकी क्षमता के आधार पर विकास प्रक्रियाओं में भाग लेने, योगदान करने और उनसे लाभ उठाने के अधिक अवसर मिलेंगे, ताकि उनके योगदान को मूल्यवान माना जाए, उनका सम्मान किया जाए। इससे आर्थिक संसाधनों पर बेहतर नियंत्रण और महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का

THE STANFORD JOURNAL
AN INTERNATIONAL JOURNAL
THE STANFORD JOURNAL ISSN: 3048-8923
(AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH)
Volume–2, Issues– 1 January-March: 2025

सशक्तिकरण भी अति आवश्यक है, क्योंकि उनके विरुद्ध, सामाजिक हिंसा और अत्याचारों से मुक्ति पाने में भी सहायक होगा। उपयोगी योजनाएं और शिक्षा ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम महिलाओं की स्थिति को पूर्ण रूप से सुधार सकते हैं।

शोध का उद्देश्य- भारतीय महिलाओं को सशक्त करने हेतु सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों को समझना तथा उनका मूल्यांकन करना।

भारतीय महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं एवं चुनौतियों का पता लगाकर उनका समाधान खोजने का प्रयास करना।

शोध की पद्धति- प्रस्तुत शोध पत्र महिलाओं के विकास, सशक्तिकरण उनके अधिकार, शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाशित शोध पत्रों के निष्कर्षों और मीडिया समाचार द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों पर आधारित है।

भारतीय महिलाओं के द्वारा विभिन्न समस्याओं का सामना करना- भारतीय महिलाएं प्रतिदिन कुछ न कुछ समस्याओं का सामना करती हैं, प्रस्तुत शोध के माध्यम से समाज में उनकी स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है, जिसमे कुछ कारणों का वर्णन किया गया है जैसे की- महिलाओं तक शिक्षा और रोजगार की कमी- भारतीय महिलाओं को अपनी शिक्षा और रोजगार तक पहुँचने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसका एक कारण शैक्षिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाएँ हैं, साथ ही शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विषय में जागरूकता की कमी का होना भी है।

लिंग आधारित हिंसा भारत में एक बड़ी समस्या है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में महिलाओं के विरुद्ध लगभग 428,279 हिंसा के मामले दर्ज किए गए, जिसमें शारीरिक, मानसिक, यौन उत्पीड़न की घटनाएँ, साथ ही विवाह दहेज से संबंधित हिंसा और कन्या भ्रूण हत्या की घटनाएँ शामिल हैं। यह आंकड़ा बहुत ही चिंताजनक हैं, इस विषय पर समाज एवं सरकार दोनों को ही मिलकर कार्य करने होंगे।

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश महिलाओं को सशक्तिकरण के मामले में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और स्वास्थ्य

THE STANFORD JOURNAL
AN INTERNATIONAL JOURNAL
THE STANFORD JOURNAL ISSN: 3048-8923
(AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH)
Volume–2, Issues– 1 January-March: 2025

देखभाल उनकी पहुंच तक कम है, यहां तक की वे लिंग आधारित हिंसा के प्रति अधिक अलग-थलग तथा असुरक्षित भी महसूस करती हैं। भारत में महिलाओं को अक्सर जीवन के कई क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिसमें घर, समाज, शिक्षा, खेल, नेतृत्व और कार्यस्थल शामिल हैं। इससे उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुँचना लगभग कम ही है, और असमान व्यवहार और कम वेतन भी एक प्रमुख कारण है। भारत में विशेषकर गावं में रहने वाली महिलाओं तक शिक्षा और रोजगार पहुंच कम है, जिसके कारण भारतीय महिलाओं में बाहरी जगत के विषय में कम ही जानकारी उपलब्ध होती हैं।

परन्तु विगत कुछ वर्षों में भारतीय महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। सभी क्षेत्रों में महिलाएं बखूबी अपना परचम लहरा रही हैं, जब तक महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होंगे तब तक कोई भी समाज चाहे वह कितना ही विकासशील ही क्यों न हो वह सभी पक्षों का विकास करके प्रगति की ओर अग्रसर हो ही नहीं सकता है। सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए शैक्षिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की पहल की गई है जिसमें महिलाओं के लिए कई नए कार्यक्रम, योजनाएं और नवाचार को अपनाकर एक प्रगाढ़ मार्ग की नीवं का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

वर्तमान में महिलाओं की स्थिति एवं दशा में सुधार एवं उनको प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने अनेकों योजनाएं प्रारम्भ की गयी हैं, जिसमें से कुछ योजनाओं का उल्लेख अग्रलिखित है–

महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु सरकार द्वारा संचालित नीतियाँ:-

1. **पुनर्विवाह योजना (1856)** इस योजना का मुख्य उद्देश्य विधवाओं के पुनर्वास में मदद करना है, इसके लिए पुरुषों को विधवाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह योजना ऐसी विधवाओं को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

THE STANFORD JOURNAL
AN INTERNATIONAL JOURNAL
THE STANFORD JOURNAL ISSN: 3048-8923
(AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH)
Volume–2, Issues– 1 January-March: 2025

2. **आंगनवाड़ी सेवाएं** (1975) इस योजना के तहत पोलियो, बीसीजी और डीपीटी जैसे टीकाकरण मुफ्त में किए जाते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को मुफ्त पूर्व-प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, जिसमें 3-6 साल की उम्र तक के बच्चे शामिल होते हैं, इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री में हेल्थ चेकअप की भी व्यवस्था भी उपलब्ध होती है।
3. **ओरिएंट महिला विकास योजना** (2000-2001) यह कार्यक्रम उन भारतीय महिलाओं के लिए उपयुक्त है, जो छोटे व्यवसाय विकसित करना चाहती हैं, और अपनी आवश्यकताओं का ख्याल रखना चाहती हैं। यह योजना ₹20 लाख तक के ऋण के लिए संपार्श्विक की मांग कर सकती हैं। व्यवसाय या फर्म को उचित रूप से शुरू करने में सहायता के लिए इस कार्यक्रम के तहत ऋण प्राप्त करने के बाद, पुनर्भुगतान की अवधि 5 से 7 वर्ष है।
4. **स्वाधार गृह योजना** (2001-02) इस योजना में महिलाओं को भोजन, आश्रय, परामर्श, कपड़े, प्रशिक्षण, कानूनी सहायता, नैदानिक सहायता, स्वास्थ्य और आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। यह योजना ये भी सुनिश्चित करती है, कि महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं का पर्याप्त रूप से ध्यान रखा जाए और उन्हें किसी भी परिस्थिति में अकेला न छोड़ा जाए, या फिर उनका शोषण न किया जा सके। वर्तमान में इस मिशन को शक्ति के सामर्थ्य घटक के तहत शक्ति सदन एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह के रूप में जाना जाता है।
5. **जननी सुरक्षा योजना** (2005) यह भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक योजना है इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं को प्रसव की संस्थागत सुविधा प्रदान करना है। पंजीकृत प्रत्येक लाभार्थी के पास एमसीएच कार्ड के साथ-साथ जननी सुरक्षा योजना कार्ड भी होना जरूरी है। आशा अथवा कोई अन्य सुनिश्चित संपर्क कार्यकर्ता द्वारा ए.एन.एम.प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में अनिवार्य

रूप से प्रसव की व्यवस्था करना आवश्यक है। इससे गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य जाँच और प्रसव के बाद देखभाल और निगरानी करने में सहायता मिलती है।

6. **बाल संरक्षण सेवा योजना (2009-10)** इस योजना के तहत महिलाओं एवं छोटी बच्चियों के पुनर्वास उपाय के रूप में बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) के माध्यम से संस्थागत देखभाल प्रदान की जाती है। गृहों में कार्यक्रमों और गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ आयु-उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुँच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श आदि शामिल हैं। गैर-संस्थागत देखभाल घटक के तहत, गोद लेने, पालन-पोषण देखभाल और प्रायोजन के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा सीपीएस 18 वर्ष की आयु के बाद संस्थागत से स्वतंत्र जीवन में संक्रमण के दौरान उन्हें बनाए रखने में मदद करने के लिए बाद की देखभाल सेवाओं का भी प्रावधान करता है। इस अधिनियम के निष्पादन और योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर है।

7. **अन्नपूर्णा योजना (2009)** भारत सरकार उन महिलाओं की सहायता के लिए कई कार्यक्रम पेश करती है जो व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं। उनमें से एक, अन्नपूर्णा योजना, एक कैटरिंग कंपनी शुरू करने के लिए ₹50,000 की पेशकश करती है। महिलाएं केंद्र सरकार के ऋण कार्यक्रमों में से एक के तहत तीन साल के भीतर ऋण चुका सकती हैं। कार्यक्रम को वे लोग चुन सकते हैं जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के लिए एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं।

8. **किशोरियों के लिए योजना एसएएज (2010)** यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य एक ओर पोषण घटक के अंतर्गत 11-14 वर्ष की आयु वर्ग की स्कूल न जाने वाली बालिकाओं को उनके स्वास्थ्य और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार के लिए पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना है, तथा दूसरी ओर गैर-पोषण घटक के अंतर्गत उन्हें औपचारिक स्कूली शिक्षा में वापस जाने के लिए प्रेरित करना, जीवन कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना आदि सम्मलित हैं।

THE STANFORD JOURNAL
AN INTERNATIONAL JOURNAL
THE STANFORD JOURNAL ISSN: 3048-8923
(AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH)
Volume–2, Issues– 1 January-March: 2025

9. **इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना** **(2010)** भारत सरकार द्वारा संचालित मातृत्व लाभ कार्यक्रम है। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यूसीडी) द्वारा लागू किया गया है। पहले दो जीवित जन्मों के लिए, 19 वर्षों या उससे अधिक उम्र की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एक सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है। यह महिलाओं को प्रसव और प्रसव के दौरान होने वाले नुकसान के लिए महिलाओं को आंशिक मजदूरी मुआवजा प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षित प्रसव, अच्छे पोषण और दूध पिलाने की स्थितियों को बढ़ावा देना है। 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए, 2013 के तहत नकद के मातृत्व लाभ के प्रावधान को लागू करने के लिए यह योजना लाई गई थी। इसके अंतर्गत 6000 रुपये के नकद मातृत्व लाभ का प्रावधान भी है।
10. **सुकन्या समृद्धि योजना** **(2014)** यह बालिकाओं को लाभ पहुंचाने और उनके उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई एक सरकार प्रायोजित योजना है। इसमें दस साल से कम उम्र की बच्चियों के माता-पिता या कानूनी अभिभावक एसएसवाई में निवेश कर सकते हैं। इस योजना की निश्चित अवधि 21 वर्ष है, और यह 8% से 9% के बीच औसत रिटर्न दर प्रदान करती है। इसमें खाता खोलने की तारीख से 15 साल तक हर महीने या वार्षिक आधार पर एक बार जमा किया जा सकता है।
11. **फ्री सिलाई मशीन योजना** **(2014)** सरकार द्वारा चलाई जा रही यह फ्री सिलाई मशीन योजना देश की महिलाओं के लिए चलाई जा रही है। बहुत सारी महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं, और घर से बाहर निकलकर काम करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसी महिलाओं के लिए सरकार सिलाई मशीन मुफ्त में उपलब्ध करवा रही है, ताकि घर बैठे ही वह सिलाई मशीन से अपना रोजगार कर सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें।
12. **मुद्रा योजना** **(2015)** मुद्रा ऋण कार्यक्रम, भारत में एक सरकारी प्रयास, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और सूक्ष्म और लघु उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रयास करता है। यह महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने और आगे बढ़ाने पर

विशेष जोर देता है, जिससे देश के भीतर महिलाओं के उद्यमशीलता प्रयासों को बढ़ाने में योगदान मिलता है। महिलाओं के लिए डिज़ाइन किए गए मुद्रा ऋण सरलीकृत मानदंडों के साथ उपलब्ध हैं, और 10 लाख तक के ऋण के लिए संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा, यह कार्यक्रम महिला उद्यमियों को ब्याज दरें प्रदान करता है, जिससे यह अपने व्यावसायिक उद्यम शुरू करने या उसका विस्तार करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन जाता है।

13. **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ-बीबीबीपी-)2015)** जिसका उद्देश्य बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) में गिरावट और जीवन चक्र निरंतरता में लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना था। इस योजना का उद्देश्य लिंग पक्षपातपूर्ण लिंग चयन उन्मूलन को रोकना, बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना और बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस योजना के प्रमुख तत्वों में राष्ट्रव्यापी मीडिया और वकालत अभियान, चयनित जिलों में बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेप शामिल हैं।
14. **स्टैंड-अप इंडिया योजना (2016)** इस योजना के अंतर्गत ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रत्येक बैंक शाखा से कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख से 1 करोड़ के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है।
15. **महिला उद्यमियों के लिए महिला-ई-हाट (2016)** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस कार्यक्रम को नियंत्रित करता है। यह 2016 में शुरू हुआ महिला-ई-हाट एक द्विभाषी विपणन मंच है जो उभरती महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य लोगों को अपने उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने में सक्षम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है।
16. **उज्ज्वला योजना (2016)** केंद्र सरकार के द्वारा महिलाओं को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गयी। योजना के अंतर्गत जो गरीबी रेखा से नीचे आती हैं, उन महिलाओं को सीधे 1600 रुपये खाते में ट्रांसफर किये

THE STANFORD JOURNAL
AN INTERNATIONAL JOURNAL
THE STANFORD JOURNAL ISSN: 3048-8923
(AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH)
Volume–2, Issues– 1 January-March: 2025

जाते हैं। इसमें केवल पांच करोड़ परिवारों को शामिल किया गया था। परन्तु अब तक देश में लगभग 8 करोड़ लोग इस योजना का लाभ ले चुके हैं। गरीब परिवारों को सब्सिडी पर एक साल में 14.2 किलोग्राम के तीन सिलेंडर सरकार की तरफ से मुफ्त दिए जाते हैं। यदि कोई पहली बार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर और गैस चुल्हा खरीदता है, तो EMI की सुविधा की भी व्यवस्था है।

17. **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (2017)** पीएमएमवीवाई के तहत मातृत्व लाभ सभी गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्लू एंड एलएम) को उपलब्ध है, उन पीडब्लू एंड एलएम को छोड़कर जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के साथ नियमित रोजगार में हैं, या जो परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए किसी भी कानून के तहत समान लाभ प्राप्त कर रही हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी को गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान तीन किस्तों में 5,000/ रुपये प्रदान किए जाते हैं, जो व्यक्ति द्वारा कुछ पोषण और स्वास्थ्य संबंधी शर्तों को पूरा करने पर दिया जाता है। पात्र लाभार्थी को संस्थागत प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत मातृत्व लाभ के लिए अनुमोदित मानदंडों के अनुसार शेष नकद प्रोत्साहन भी मिलता है।

18. **महिला शक्ति केंद्र योजना (2017)** यह सरकार प्रायोजित कार्यक्रम कौशल विकास सहायता, डिजिटल साक्षरता, रोजगार और बहुत कुछ प्रदान करके महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए 2017 में शुरू किया गया था। प्रत्येक शक्ति केंद्र (राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर) ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से लाभ प्राप्त करने के लिए एक इंटरफ़ेस प्रदान करता है। इस योजना को राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के लागत साझाकरण अनुपात के साथ लागू किया जाता है, पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों को छोड़कर जहां वित्तपोषण अनुपात 90:10 है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय वित्तपोषण प्रदान किया जाता है।

THE STANFORD JOURNAL
AN INTERNATIONAL JOURNAL
THE STANFORD JOURNAL ISSN: 3048-8923
(AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH)
Volume–2, Issues– 1 January-March: 2025

19. **व्यापार-संबंधित उद्यमिता सहायता और विकास योजना** (2017) यह भारत सरकार की एक पहल है, जो व्यापार से संबंधित उद्यमिता सहायता और विकास योजना के अंतर्गत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए गैर-कृषि गतिविधियों में उद्यमिता कौशल विकसित करने मेंपूर्ण रूप से सहायक है। यह योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन)DAY-NRLM) के अंतर्गत कार्यान्वित की गई है। महिलाओं को उद्यमिता कौशल विकास प्रशिक्षण, व्यावसायिक सलाह और मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उद्यमिता, वित्त, विपणन, व्यवसाय प्रबंधन के क्षेत्रों में पाठ्यक्रम, व्यावसायिक सलाह तथा मार्गदर्शन महिलाओं को अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक प्रारम्भ करने में मदद करता है। यहाँ तक की इसमें वित्तीय सहायता प्राप्तकर्ता महिलाओं को अपने व्यवसाय के लिए आवश्यक पूंजी एकत्र करने में मदद करती है।
20. **पोषण अभियान** (2018) इसका उद्देश्य आईसीटी अनुप्रयोग, अभिसरण, सामुदायिक लामबंदी, व्यवहार परिवर्तन और जन-आंदोलन, क्षमता निर्माण, प्रोत्साहन और पुरस्कार तथा नवाचार जैसे घटकों के माध्यम से देश भर में कुपोषण के मुद्दों का समाधान करना है।
21. **कामकाजी महिला छात्रावास** (2020) यह योजना सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है, जिसका उद्देश्य कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास उपलब्ध कराना है, जिसमें जहां भी संभव हो, शहरी, अर्ध-शहरी या यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हों, उनके बच्चों के लिए डे-केयर सुविधा भी उपलब्ध कराना है।
22. **स्त्री शक्ति योजना** (2000) स्त्री शक्ति महिलाओं को अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद करने के लिए व्यक्तिगत ऋण प्रदान करती है। इस ऋण के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए महिलाओं के पास व्यवसाय का 50% हिस्सा होना चाहिए, और वे इस कार्यक्रम के तहत ₹50 लाख तक के ऋण के लिए पात्र हैं। इससे

महिलाओं के लिए कंपनी चलाना आसान हो जाता है, और आय का प्रवाह बढ़ता है।

23. **एकल नारी योजना** **(2023)** इस योजना के तहत सभी तलाकशुदा, विधवा या परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन राशि दी जाती है, ताकि वे अपने घर का खर्च आसानी से उठा सकें। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक मदद प्रदान करना है।

24. **सुभद्रा योजना** **(2024)** ओडिशा सरकार ने सुभद्रा योजना)Subhadra Yojana) के लिए गाइडलाइन जारी की। राज्य कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दे दी है, और इसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। इस योजना की गाइडलाइन केअनुसार, हर लाभार्थी महिला को इस योजना के तहत दो समान किस्तों में 10 हजार रुपये सालाना दिया जाएगा, पांच साल बाद हर लाभार्थी महिला को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। ये राशि सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाएगी, और उन्हें एक सुभद्रा डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा। किसी भी योजना के तहत पहले से ही 1500 रुपये का लाभ ले रही हैं, तो ऐसी महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। इस योजना को वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक चलाया जाएगा। भविष्य में इसका विस्तार भी किया जा सकता है। जिसके लिए ओडिशा सरकार ने 55,825 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इनके अतिरिक्त भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए सरकार के द्वारा अन्य और कदम उठाए गए हैं जैसे की–

1. अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (ऐक्ट-ITP) 1956
2. दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961
3. कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984
4. महिलाओं का अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम 1986
5. सती निषेध अधिनियम 1987
6. राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990
7. गर्भधारण पूर्वलिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994
8. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005

जैसे आदि कदम सरकार द्वारा उठाए गए हैं, जिनके माध्यम से महिलाओं की दशा को सुधारा जा सकता है।

निष्कर्ष- महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया है, ताकि महिलाएं सशक्त होकर समाज और राष्ट्र की स्थापना में अपना योगदान दे सकें। क्योंकि उनकी प्रगति को पूरे परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति माना जाता है। महिलाओं के प्रति होने वाले विभिन्न अत्याचारों, शोषण और दुर्भावनाओं को समाप्त करने के लिए ही महिला सशक्तिकरण जैसी योजना का निर्माण किया गया है। जिसके माध्यम से महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, आत्मरक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, आजीविका, जागरूकता, बुनियादी जरूरतों की पूर्ति आदि के उत्थान के लिए अपने विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं आदि से महिलाओं को लाभान्वित कर रहा है, जो महिलाओं को सशक्त बनाने में उपयोगी साबित हो रहा है।

आज देश में महिलाओं के समुचित विकास के लिए अनेकों संस्थाएं कार्यरत हैं। अब महिलाएं सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उठाकर प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, और अपनी अंतर्निहित क्षमता, आत्मविश्वास, साहस के साथ पुरुष प्रधान समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का सफल प्रयास कर रही हैं। महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की पहल की गई है, जिसके लिए कई नए कार्यक्रम, योजनाएं और नवाचार को भी अपनाया जा रहा है। क्योंकि महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने तथा आत्मनिर्भर बनाने में सरकारी योजनाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे महिलाओं का समाज में स्तर ऊँचा उठता है, बल्कि महिलाओं के प्रति समाज की उस संकीर्ण सोच को खत्म करती है। अतः कहा जा सकता है कि यदि महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन हुए हैं, तो उसका श्रेय सरकारी योजनाओं को भी जाता है। क्योंकि उन्हें अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से भाग लेने के लिए ,शिक्षित एवं सक्षम बनाकर बेहतर वेतन वाली नौकरियों तक पहुँच मिल सकती है, जो उन्हें और उनके परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद कर सकती है। महिलाओं को सशक्त बनाने से उन्हें अपने जीवन पर अधिक

THE STANFORD JOURNAL
AN INTERNATIONAL JOURNAL
THE STANFORD JOURNAL ISSN: 3048-8923
(AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH)
Volume–2, Issues– 1 January-March: 2025

नियंत्रण मिल सकता है, जिससे वे अपने स्वास्थ्य, कल्याण और भविष्य के विषय में निर्णय ले सकती हैं। जिससे उनके आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है, साथ ही मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार हो सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- सक्सेना वंदना(2013), महिलाओं की दुनिया और अधिकार, मनीषा प्रकाशन दिल्ली।
- वियोगी, कुसुम (2001), दलित महिला लेखिकाओं की लोकप्रिय कहानियां, ललित प्रकाशन
- मेनन रितु (2005), मेहनतकश महिलाएं, नेशनल बुक ट्रस्ट
- कपूर, प्रोमिला (2012), महिला शिक्षा- एक मूल्यांकन
- उपाध्याय, आशा एवं गुंजन (2013), महिलाएं, समय, समाज और शब्द, जनचेतना प्रकाशन
- स्वामी, भगवती एवं किशोर, सविता)2008), महिला सशक्तिकरण क्यों और कैसे?, आर.बी.पब्लिशर्स।
- राजाराम एवं भावरा (2011), 21वीं सदी की महिला
- मोदी)2013), ग्रामीण महिलाओं के विकास में स्वयं सहायता समूहों का योगदान,